संख्या:57/2025/1428/2025/1850832/12-2099/226/2024

प्रेषक

दीपक कुमार,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक: 26 सितम्बर, 2025

विषय: रबी अभियान वर्ष 2025-26 की फसलोंत्पादन की रणनीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में रबी एक महत्वपूर्ण फसल सीजन है। रबी 2024-25 में खाद्यान्न तथा तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 138.78 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादित हुआ एवं 479.618 लाख मी0 टन का उत्पादन हुआ। आगामी रबी 2025-26 में खाद्यान्न एवं तिलहनी फसलों के अन्तर्गत 138.78 लाख हे0 क्षेत्र आच्छादन तथा 500.137 लाख मी0 टन उत्पादन का लक्ष्य है। उपरोक्त वृद्धि मुख्य फसलवार निम्नवत लक्षित है:-

| क्र0सं0 | फसल | क्षेत्रफल में वृद्धि (प्रतिशत में) | उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 1 | गेहूँ | -7.26 | 0.60 |
| 2 | जौ | 13.05 | 15.43 |
| 3 | मक्का (रबी) | 21.21 | 34.27 |
| 4 | दलहन | 15.27 | 25.64 |
| 5 | तिलहन | 25.70 | 39.23 |

**2. राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर पर रबी वर्ष 2024-25 में क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं रबी वर्ष 2025-26 में प्रदेश स्तर पर फसलों के उत्पादन लक्ष्य:-**

| राष्ट्रीय स्तर* | | | प्रदेश स्तर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| फसल | क्षेत्रफल (लाख हे0) (2024-25) | उत्पादन (2024-25) (लाख मी0टन) | क्षेत्रफल (लाख हे0) (2024-25) | उत्पादन (2024-25) (लाख मी0टन) | उत्पादन लक्ष्य (2025-26) (लाख मी0 टन) |
| गेहूँ | 327.61 | 1175.07 | 102.65 | 422.45 | 425.00 |
| जौ | 6.05 | 18.44 | 1.77 | 6.32 | 7.30 |
| मक्का(रबी) | 27.24 | 136.16 | 0.30 | 0.86 | 1.15 |
| दलहन | 139.02 | 154.91 | 15.21 | 21.40 | 26.89 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | राष्ट्रीय स्तर* | | प्रदेश स्तर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| तिलहन | 93.24 | 135.74 | 18.84 | 28.58 | 39.79 |

**3. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर रबी 2024-25 में उर्वरकों का कुल विक्रय एवं रबी 2025-26 में अनुमानित आवश्यकता:-**

| उर्वरक | राष्ट्रीय स्तर | | प्रदेश स्तर | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | रबी 2024-25 विक्रय (लाख मी0टन) | रबी 2025-26 अनुमानित लक्ष्य (लाख मी0टन) | रबी 2024-2025 विक्रय (लाख मी0टन) | रबी 2025-26 अनुमानित लक्ष्य (लाख मी0टन) | वृद्धि का प्रतिशत |
| यूरिया | 328.78 | 328.78 | 40.18 | 40.00 | -0.45 |
| डी0ए0पी0 | 48.36 | 48.36 | 12.49 | 14.00 | 12.09 |
| एन0पी0के0 | 69.83 | 69.83 | 7.08 | 7.50 | 5.93 |
| एम0ओ0पी0 | 13.98 | 13.98 | 1.28 | 1.50 | 17.19 |
| एस0एस0पी0 | 25.45 | 25.45 | 3.03 | 3.50 | 15.51 |

**4. * राष्ट्रीय स्तर पर कुल दलहनी फसलों की वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति :-**

| वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्राच्छादन (लाख हे0) | 288.3 | 303.7 | 289.01 | 270.14 | 276.24 |
| उत्पादन (लाख मी.टन) | 257.2 | 269.5 | 260.58 | 244.93 | 252.38 |
| उत्पादकता (कुं./हे.) | 8.92 | 8.87 | 9.02 | 9.07 | 9.14 |

**5. प्रदेश स्तर पर कुल दलहनी फसलों की वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति :-**

| वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्राच्छादन (लाख हे0) | 23.80 | 26.93 | 27.56 | 30.43 | 25.66 |
| उत्पादन (लाख मी0टन) | 25.34 | 29.20 | 29.79 | 34.12 | 30.81 |
| उत्पादकता (कुं0/हे0) | 10.64 | 10.84 | 10.81 | 11.21 | 12.01 |

**6. * राष्ट्रीय स्तर पर कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता की स्थिति :-**

| वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्राच्छादन (लाख हे0) | 287.9 | 287.6 | 302.39 | 300.75 | 302.65 |
| उत्पादन (लाख मी0टन) | 361.0 | 371.5 | 413.55 | 395.93 | 426.09 |
| उत्पादकता (कुं0/हे0) | 12.54 | 12.91 | 13.68 | 13.16 | 14.08 |

**7. प्रदेश स्तर पर कुल तिलहनी फसलों के वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**उत्पादकता की स्थिति :-**

| वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्राच्छादन (लाख हे0) | 11.97 | 14.22 | 18.06 | 19.19 | 28.80 |
| उत्पादन(लाख मी0टन) | 12.75 | 14.74 | 21.57 | 23.01 | 36.31 |
| उत्पादकता (कुं0/हे0) | 10.65 | 10.37 | 11.94 | 12.00 | 12.61 |

**8. विगत 05 वर्षो में प्रदेश में रबी में खाद्यान्न व तिलहन फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन के लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि:-**

**क्षेत्रफल- लाख हे0**
**उत्पादन- लाख मी0 टन**

| | | खाद्यान्न | | | | तिलहन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | वर्ष | क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य | पूर्ति | उत्पादन का लक्ष्य | पूर्ति | क्षेत्राच्छादन का लक्ष्य | पूर्ति | उत्पादन का लक्ष्य | पूर्ति |
| **1** | 2020-21 | 121.10 | 117.65 | 425.70 | 401.65 | 7.92 | 7.27 | 11.47 | 10.23 |
| **2** | 2021-22 | 121.13 | 120.46 | 425.62 | 407.91 | 8.17 | 9.45 | 11.84 | 12.67 |
| **3** | 2022-23 | 116.84 | 120.82 | 421.84 | 408.39 | 13.20 | 13.24 | 12.57 | 19.44 |
| **4** | 2023-24 | 121.30 | 119.26 | 428.77 | 427.16 | 13.55 | 13.60 | 19.90 | 20.01 |
| **5** | 2024-25 | 121.72 | 119.93 | 472.97 | 451.04 | 14.15 | 18.84 | 21.47 | 28.58 |

**9. प्रदेश में रबी की महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता में बढ़ोत्तरी के लिए राष्ट्रीय औसत व ऐसे प्रदेश जिनमें इन फसलों की उत्पादकता (कु0/हे0) सबसे अधिक है उनसे तुलना आवश्यक है। उक्त के क्रम में स्थिति:-**

| क्र0सं0 | फसल | * राष्ट्रीय औसत उत्पादकता (2024-25) | प्रदेश में औसत उत्पादकता (2024-25) | अधिकतम उत्पादकता (2024-25) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गेहूँ | 35.87 | 41.16 | 51.16 (पंजाब) |
| 2 | चना | 11.80 | 15.01 | 17.41 (गुजरात) |
| 3 | मसूर | 10.38 | 11.21 | 14.34 (राजस्थान) |
| 4 | सरसों | 14.61 | 15.42 | 19.47 (हरियाणा) |

**10. रबी के महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादकता में विभिन्न जनपदों में व्यापक असमानता है। वर्ष 2024-25 अन्तर्गत फसलवार स्थिति:-**

| फसल | जनपद जहॉ अधिकतम उत्पादकता है | उत्पादकता कुं0/हे0 | जनपद जहॉ न्यूनतम उत्पादकता है | उत्पादकता कुं0/हे0 |
|---|---|---|---|---|
| गेहूँ | फरूखाबाद | 51.16 | बॉदा | 30.92 |
| चना | मैनपुरी | 25.26 | रायबरेली | 10.15 |
| मसूर | गाजीपुर | 17.36 | श्रावस्ती | 7.82 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| सरसों | मथुरा | 22.41 | उन्नाव | 9.33 |
| जौ | कानपुर नगर | 43.54 | महोबा | 25.26 |

***राष्ट्रीय स्तर के आकड़े भारत सरकार upag portal से लिये गये है।**

**** प्रदेश स्तर के रबी फसलों के आकड़े परिवर्तनीय है ।**

**11. रबी उत्पादन लक्ष्यः-**

**प्रदेश के जनपदों हेतु रबी 2025-26 में फसलवार क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्यः-**

क्षेत्रफल-लाख हे0
उत्पादन-लाख मी0 टन
उत्पादकता-कु0/हे0

| क्र0 स0 | फसल | वर्ष-2023-24 की उपलब्धि | | | वर्ष-2024-25 की उपलब्धि | | | वर्ष-2025-26 के लक्ष्य | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पा. | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पा. | क्षेत्रफल | उत्पादन | उत्पा. |
| 1 | गेहूँ | 100.04 | 397.55 | 39.74 | 102.645 | 422.450 | 41.16 | 95.19 | 425.000 | 44.65 |
| 2 | जौ | 1.70 | 5.82 | 34.13 | 1.769 | 6.324 | 35.75 | 2.000 | 7.300 | 36.50 |
| 3 | मक्का | 0.25 | 0.71 | 28.75 | 0.297 | 0.858 | 28.89 | 0.360 | 1.152 | 32.00 |
| 4 | चना | 6.82 | 9.26 | 13.58 | 5.968 | 8.956 | 15.01 | 6.900 | 11.178 | 16.20 |
| 5 | मटर | 4.68 | 7.85 | 16.78 | 3.209 | 5.679 | 17.70 | 4.000 | 7.280 | 18.20 |
| 6 | मसूर | 5.77 | 5.97 | 10.35 | 6.040 | 6.769 | 11.21 | 6.640 | 8.433 | 12.70 |
| कुल रबी खाद्यान्न | | **119.26** | **427.16** | - | **119.928** | **451.036** | - | **115.09** | **460.343** | - |
| 7 | राई-सरसों | 13.11 | 19.72 | 15.04 | 13.744 | 21.194 | 15.42 | 18.230 | 31.538 | 17.30 |
| 8 | अलसी | 0.49 | 0.29 | 5.84 | 0.420 | 0.345 | 8.21 | 0.460 | 0.506 | 11.00 |
| 9 | तोरिया | - | - | - | 4.683 | 7.043 | 15.04 | 5.000 | 7.750 | 15.50 |
| कुल रबी तिलहन | | **13.60** | **20.01** | - | **18.847** | **28.582** | - | **23.690** | **39.794** | - |
| महायोग | | **132.86** | **447.17** | - | **138.775** | **479.618** | - | **138.780** | **500.137** | - |

*** गन्ने की फसल के साथ अन्तः फसली के रूप में मसूर 0.5 लाख हे0 एंव सरसों 1.77 लाख हे0 क्षेत्रफल में बुवाई किया जाना प्रस्तावित है**

**रबी फसलों के जनपदवार, फसलवार क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता के लक्ष्य परिशिष्ट-01 पर दर्शित हैं।**

**12. <u>रबी 2025-26 हेतु फसलोत्पादन रणनीति के मुख्य बिन्दुः-</u>**

- कृषि निवेशों की समय पर व्यवस्था।
- बीज शोधन उपरान्त फसलों की समय से पंक्तियों में बुवाई।
- फसल सघनता में वृद्धि।
- बीज प्रतिस्थापन दर एवं प्रजाति प्रतिस्थापन दर बढ़ाना।
- सिंचाई जल की उपयोग क्षमता को बढ़ाना।
- पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता को बढ़ाना।
- संकर प्रजाति के मक्का बीजों के प्रयोग को प्रोत्साहन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु नत्रजनिक, फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को भी मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग किया जाये।
- जैव उर्वरकों यथा-राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर, पी0एस0बी0 व पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टेरिया कल्चर का अधिक से अधिक प्रयोग हेतुप्रोत्साहन।
- रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ-साथ हरी खाद, कम्पोस्ट, वर्मी/नाडेप कम्पोस्ट व सिटी कम्पोस्ट का भी प्रयोग कराया जाये।
- नैनो यूरिया एवं नैनो डी0ए0पी0 के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- फसल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज शोधन व रोगों/कीटों के नियंत्रण हेतु बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेन्टस पर राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ उठाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाये।
- फसलों को समयान्तर्गत खरपतवार, कीट एवं रोगो से बचाव हेतु आवश्यक निदानात्मक कार्यवाही एवं सघन प्रशिक्षण अभियान चलाये जायें।
- न्यूनतम उत्पादकता वाले विकास खण्ड/न्याय पंचायत के सम्बन्ध में भी समुचित रणनीति बनाकर त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न फसलों की विकास खण्ड /न्याय पंचायतवार उत्पादकता को आधार मानकर योजनायें बनाकर सघन पद्धतियों को लागू किया जाय।
- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, सिंचाई विभाग एवं नलकूप विभाग फसलोत्पादन के समय बिजली की आपूर्ति, नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी चलने, सरकारी नलकूपों को कार्यरत रखने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर फसली ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। फसल बीमा सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु स्थापित काल सेन्टर 1800-889-6868 का व्यापक प्रचार-प्रसार कृषकों के मध्य करते हुये उन्हें योजना में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- **फसलवार मुख्य प्रभावी बिन्दु (Impact Points):-**
    - **गेहूँ फसल** -
        - समय से पंक्तियों में बुवाई करें ।
        - बुवाई सीडड्रिल/ फर्टी कम सीडड्रिल द्वारा ही करें ।
        - क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुत प्रजाति का चयन कर प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें ।
        - बुवाई से पूर्व ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू0पी0 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें ।
        - यदि पूर्व फसल में या बुवाई के समय जिंक प्रयोग न किया गया हो तो खड़ी फसल में जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाये।
    - **राई-सरसों फसल** -
        - बुवाई के 15-20 दिन बाद विरलीकरण अवश्य किया जाय ।
        - बुवाई से पूर्व ट्राइकोडर्मा 4-5 ग्राम अथवा कार्बेन्डाजिम 50 प्रतिशत डब्लू0पी0 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें ।
        - सल्फर की पूर्ति के लिए 2 कु0/हे0 जिप्सम अथवा वेटेबल सल्फर का प्रयोग अंतिम जुताई के समय किया जाय ।
    - **चना फसल** -
        - क्षेत्रीय अनुकूलतानुसार प्रजाति का चयन कर प्रमाणित बीज का प्रयोग करें।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- बीज जनित रोगो से बचाव के लिए थीरम 2.5 ग्राम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा अथवा थीरम 2.5 ग्राम +कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से बीज को बोने से पूर्व शोधित करना चाहिए।
- फूल आते समय सिंचाई न करें।
- बेसल ड्रेसिंग में फास्फोरस धारी उर्वरकों का कूंड़ों में संस्तुति अनुसार अवश्य प्रयोग करें।

○ **मसूर फसल -**

- क्षेत्रीय मांग एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रजाति का चयन कर समय से पंक्तियों में बुवाई करें।
- फास्फोरस एवं गंधक हेतु सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें।
- बीज जनित रोगो से बचाव के लिए थीरम 2.5 ग्राम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा अथवा थीरम 2.5 ग्राम +कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से बीज को बोने से पूर्व शोधित करना चाहिए।
- 10 कि0ग्रा0 बीज को मसूर के एक पैकेट 200 ग्राम राइजोबियम लेग्यूमीनोसेरम कल्चर से उपचारित करके बोना चाहिए।

○ **मटर फसल -**

- समय से ही पंक्तियों में बुवाई करें।
- क्षेत्रीय अनुकूलतानुसार प्रजाति का चयन कर प्रमाणित बीज का प्रयोग करें।
- बीज जनित रोगो से बचाव के लिए थीरम 2.5 ग्राम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा अथवा थीरम 2.5 ग्राम +कार्बेन्डाजिम 2 ग्राम प्रति किग्रा0 बीज की दर से बीज को बोने से पूर्व शोधित करना चाहिए।
- फास्फोरस एवं गंधक हेतु सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें।

○ **जौ फसल -**

- कम सिंचाई वाले क्षेत्र में संस्तुत प्रजाति को ही समय से बोये।
- उपलब्धतानुसार सिंचाई कल्ले बनते/निकलते समय एवं दुग्धावस्था में करें।

**मक्का फसल -**

- मक्का की खेती में आई0पी0एम0 को अपनायें जिससे फॉल आर्मी वर्म से फसल की सुरक्षा हो सके।
- एन0पी0के0 उर्वरक के साथ गंधक का प्रयोग अवश्य करें।
- खरपतवारनाशी के रूप में एट्राजीन के प्रयोग से बचे जिससे सहफसली के रूप में आलू की खेती की जा सके।

13. **कृषि निवेशों की व्यवस्था -**

**A- प्रमाणित बीजः-**

| क्रम सं0 | फसल | रबी 2024-25 वितरण (कु0 में) | रबी 2025-26 वितरण लक्ष्य (कु0 में) | प्रस्तावित बीज प्रतिस्थापन दर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गेंहूँ | 50,86,278 | 48,54,690 | 51 |
| 2 | जौ | 66,716 | 70,000 | 35 |
| 3 | चना | 1,99,834 | 2,04,240 | 37 |
| 4 | मटर | 1,59,588 | 1,40,000 | 35 |
| 5 | मसूर | 1,37,771 | *1,78,500 | 52 |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | तोरिया | 9,967 | 11,000 | 44 |
| 7 | राई-सरसों | 44,866 | *70,885 | 73 |
| 8 | अलसी | 4,488 | 3,910 | 34 |
| | **योग** | **57,09,508** | **55,33,225** | **50** |

*** गन्ने के साथ सहफसली हेतु बीज के लक्ष्य सम्मिलित है ( क्र0 सं0 5 व 7)**
**जनपदवार प्रमाणित बीज वितरण के लक्ष्य परिशिष्ट-02 पर दर्शित हैं।**

**B- उर्वरक:-रबी 2024-25 की खपत एवं रबी वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों का विवरण:-**

**(मात्रा लाख मी0 टन)**

| क्र0 सं0 | उर्वरक | रबी 2024-25 की खपत | रबी 2025-26 के लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | यूरिया | 40.18 | 40.00 |
| 2 | डी0ए0पी0 | 12.49 | 14.00 |
| 3 | एन0पी0के0 | 7.08 | 7.50 |
| 4 | एम0ओ0पी0 | 1.28 | 1.50 |
| 5 | एस0एस0पी0 | 3.03 | 3.50 |
| **योग** | | 64.06 | 66.50 |

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से पी0एम0 प्रणाम योजना ( pm programme for Restoation, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mothers earth ) प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत उर्वरकों के कम उपयोग से बचत हो रही अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दी जायेगी।
- रासायनिक उर्वरकों की बचत हेतु जैविक खादों, जैविक उर्वरकों, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा एवं मृदा परिक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा दिया जायें ।
- प्रदेश में निर्धारित मूल्य पर उर्वरकों का वितरण सुनिश्चित किया जायें ।
- अन्तराष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय सीमाओं पर उर्वरकों की काला बजारी, डायवर्जन तथा इन्डस्ट्रियल उपयोग को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायें ।

जनपदवार उर्वरकों के संस्थावार लक्ष्य **परिशिष्ट-03** पर दर्शित हैं।

- रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाने हेतु राइजोबियम, एजेटोबैक्टर एवं फास्फेट साल्यूबल बैक्टिरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन एवं वितरण:-जैव उर्वरकों का 75 प्रतिशत अनुदान पर ई-पॉस मशीन(e-POS) से सत्यापन के पश्चात 14.50 लाख पैकेट के वितरण की योजना है।

**C. कृषि रक्षा रसायन:-**

**(i) रबी वर्ष 2024-25 अन्तर्गत संस्थावार, वर्गवार कृषि रक्षा रसायनों की खपत एवं रबी 2025-26 के लक्ष्यों का विवरण:-**

| क्र0 सं0 | रसायन वर्ग | इकाई | रबी 2024-25 के लक्ष्य एवं वितरण (समस्त श्रोतों द्वारा) | | संस्थावार प्रस्तावित लक्ष्य रबी 2025-26 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | कृषि | पी0सी0एफ0 | गन्ना/ | निजी | कुल योग |
| | | | | | | 12.50% | उद्यान | 50.00 | 100% |
| | | | लक्ष्य | वितरण | 25% | | 12.50% | % | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कीटनाशक धूल/दानेदार | मै0टन | 93400.00 | 2814.88 | 850.00 | 425.00 | 425.00 | 1700.00 | 3400.00 |
| 2 | कीटनाशक तरल | कि0ली0 | 740.00 | 766.00 | 190.00 | 95.00 | 95.00 | 380.00 | 760.00 |
| 3 | फफूँदनाशक | मै0टन/ कि0ली | 1040.00 | 1064.00 | 275.00 | 137.50 | 137.50 | 550.00 | 1100.00 |
| 4 | तृणनाशक | मै0टन/ कि0ली0 | 2300.00 | 1969.00 | 575.00 | 287.50 | 287.50 | 1150.00 | 2300.00 |
| 5 | मूषनाशक/धूम्रक | मै0टन/ कि0ली0 | 120.00 | 95.14 | 30.00 | 15.00 | 15.00 | 60.00 | 120.00 |
| 6 | पी0जी0आर0 | मै0 टन /कि0ली0 | 100.00 | 78.12 | 25.00 | 12.50 | 12.50 | 50.00 | 100.00 |
| 7 | बायोपेस्टीसाइड्स | मी0टन/ कि0ली0 | 3600.00 | 2963.11 | 900.00 | 450.00 | 450.00 | 1800.00 | 3600.00 |
| योग | | | 11300.00 | 9750.00 | 2845.00 | 1422.50 | 1422.50 | 5690.00 | 11380.00 |

**जनपदवार व संस्थावार कृषि रक्षा रसायनों के लक्ष्य परिशिष्ट-04 पर दर्शित हैं।**

**(ii) बायोपेस्टीसाइड एवं बायोएजेण्ट वितरण के लक्ष्य, रबी 2025-26**

| क्र0 सं0 | बायोपेस्टीसाइड्स एवं बायोएजेण्ट | इकाई | रबी 2024-25 के लक्ष्य एवं वितरण (समस्त स्रोतों द्वारा) | | रबी 2025-26 के प्रस्तावित लक्ष्य (समस्त स्रोतों द्वारा) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | वितरण | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | बायोपेस्टीसाइड्स | कि0ली0/मै0टन | 3600.00 | 2963.11 | 3600.00 |
| 2. | बायोएजेण्ट (ट्राइकोग्रामा कार्ड) | संख्या | 33000 | 22265 | 50000 |

**जनपदवार बायोपेस्टीसाइड एवं बायोएजेण्ट वितरण के लक्ष्य परिशिष्ट-05 पर दर्शित हैं।**

D. **फसली ऋण तथा किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्थाः-**

| क्र0 सं0 | कार्यमद | इकाई | वर्ष 2024-25 की पूर्ति | वर्ष 2025-26 वितरण लक्ष्य | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फसली ऋण(रबी) | करोड़ रू0 | 88228.06 | 112226.38 | - |
| 2 | किसान क्रेडिट कार्ड | संख्या | 71.25 लाख | 83.87 लाख | - |

**जनपदवारकिसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य परिशिष्ट-06 व फसली ऋणलक्ष्यपरिशिष्ट-07 पर दर्शित है।**

14. **कृषि निवेशों की उपलब्धता हेतु समय सारिणीः-**

(i). **बीज की आपूर्ति हेतु समय सारिणीः-**

| क्रम सं0 | प्रमाणित बीज का नाम | जनपद स्तर पर उपलब्धता | बिक्री केन्द्रों पर उपलब्धता |
|---|---|---|---|
| 1 | तोरिया | 31 अगस्त | 05 सितम्बर |
| 2 | राई/सरसों | 20 सितम्बर | 30 सितम्बर |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | अलसी | 30 सितम्बर | 10 अक्टूबर |
| 4 | चना | 20 सितम्बर | 05 अक्टूबर |
| 5 | मटर व मसूर | 20 सितम्बर | 05 अक्टूबर |
| 6 | जौ | 15 अक्टूबर | 25 अक्टूबर |
| 7 | गेहूँ | 20 अक्टूबर | 31 अक्टूबर |

(ii) **उर्वरकों की आपूर्ति व्यवस्था :-**

| स्तर | सहकारिता विभाग | यू0पी0 स्टेट एग्रो | गन्ना विभाग | कृषिविभाग |
|---|---|---|---|---|
| राज्य स्तर | आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियां | प्रबन्ध निदेशक | गन्ना आयुक्त | कृषि निदेशक |
| मण्डल स्तर | संयुक्त आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियां | क्षेत्रीय प्रबन्धक | संयुक्त/उपगन्ना आयुक्त | संयुक्त कृषि निदेशक |
| जनपदस्तर | सहायक आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियां | जिला प्रबन्धक | जिलागन्ना अधिकारी | जिला कृषि अधिकारी |
| विकास खण्ड स्तर | सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) | प्रभारी बिक्री केन्द्र | ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक | वरिष्ठ प्राविधिक सहायक |
| उर्वरक बिक्री केन्द्र स्तर | सचिव, सहकारी समितियां | - | सचिव, गन्ना समिति | - |

**15. फसल सघनता में वृद्धि**:-

फसल सघनता में वृद्धि हेतु कृषकों को वर्ष में न्यूनतम दो या तीन फसल लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग कर फसल सघनता बढ़ाने हेतु रबी में निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैः-

- खरीफ में बुवाई से खाली खेतों में तोरिया की बुवाई हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय।
- जिन क्षेत्रों में गन्ना की खेती हो रही है वहॉ गन्ने से खाली होने वाले खेतों में तथा शीघ्र पकने वाली अरहर से खाली खेतों में, विलम्ब की दशा में बोई जाने वाली गेहूँ की प्रजातियों की बुआई को प्रोत्साहित किया जाय।
- रबी एवं जायद में मक्का फसल के क्षेत्राच्छादन में वृद्धि।
- जनपद देवरिया, कुशीनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलिया, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, आजमगढ़, बस्ती, बाराबंकी, फैजाबाद, सीतापुर, खीरी एवं जौनपुर में रबी मक्का की खेती होती है। इन क्षेत्रों में संकर मक्का (Quality Protein Maize) की खेती को प्रोत्साहित किया जाय ।
- विशेषकर अगेती आलू के उपरान्त विलम्ब से बोयी जाने वाली गेहूँ, सूरजमुखी, उर्द, मूंग अथवा कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई कर फसल सघनता में वृद्धि की जा सकती है।

**16. केन्द्रीय पोषित योजनायें:-**

**16.(I) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित योजनायें:-**

राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद (एनडीसी) ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की अपने प्रतिबद्धता/संकल्प के दृष्टिगत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2007-08 से वर्ष 2014-15 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के रूप में संचालित की गई है। भारत सरकार स्तर से वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश/राज्यांश) संचालित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा आर0के0वी0 वाई0-डी0पी0आर0 एवं ऐनुएल एक्शन प्लान यथा स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टीलिटी,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आर0ए0डी0, पी0के0वी0वाई0, सबमिशन आन एग्रीकल्चर मैनेजमेण्ट, सी0आर0एम0 पर ड्राप मोर क्राप, एग्रो फारेस्ट्री एवं क्राप डायवर्सीफिकेशन स्कीम हेतु पृथक-पृथक एलोकेशन रू0 467.35 करोड़ व रू0 1140.70 करोड़, कुल रू0 1608.05 करोड़ का आवंटन केन्द्र स्तर से प्राप्त हुआ है।

12वीं पंचवर्षीय योजना आर0के0वी0वाई का मुख्य उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहित करना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायतता प्रदान करना, केन्द्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज अन्तर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना तथा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना है।

प्रदेश स्तर पर केन्द्र स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश दिनांक 27.11.2007 के द्वारा योजनान्तर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति गठित की गई जिसके निर्देशानुसार कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र से संबंधित विभागों/संस्थाओं यथा-कृषि, गन्ना, उद्यान, रेशम, लघु सिंचाई, सहकारिता, यू0पी0 डास्प एवं प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय तथा शोध संस्थायें आदि के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम/परियोजनाएँ क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

**16.1 (a)-<u>रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट (आर0ए0डी0)-</u>**

रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट प्रदेश के 65 जनपदो में संचालित है। सम्पूर्ण योजना काल में एक कृषक परिवार को इन्टीग्रेटेड फार्मिग सिस्टम के साथ-साथ मत्स्य पालन , मौन पालन साइलेज एवं वर्मी कम्पोस्ट / ऑर्गेनिक इनपुट उत्पादन यूनिट एवं हरी खाद में से दो अन्य कार्यक्रम के कार्य करने पर कुल लागत धनराशि रू0 60,000 या उससे अधिक धनराशि पर रू0 30,000 का अनुदान अनुमन्य है। योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025 -26 हेतु चयनित जनपदों में कुल 6988.50 हे0 क्षेत्रफल मे क्लटर के आधार पर 13592कृषको को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । "धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान" अन्तर्गत चयनित परियोजनाओं में अनुसूचित जनजातीय कृषको को गाइडलाइन के अनुरूप लागत को भी , धनराशि रू0 30000का एकमुश्त अनुदान देय होगा ।

**16.1 (b)- <u>परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0):-</u>**

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई) के अन्तर्गत क्लस्टर एप्रोच (20 हे० क्षेत्रफल प्रति क्लस्टर) एवं पार्टीसिपेटरी गारन्टी सिस्टम ऑफ इण्डिया (पी० जी०एस०-इण्डिया) जैविक प्रमाणीकरण के सिद्धान्त पर जैविक खेती कार्यक्रम संचालित है। योजना की अवधि तीन वर्ष है तथा भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष में रु03.30 लाख, द्वितीय वर्ष में 3.40 लाख एवं तृतीय वर्ष में रु03.30 लाख ( तीन वर्षों हेतु कुल रु० 10.00 लाख ) की सुविधा, क्षमता विकास, फसल प्रबन्धन एवं सुरक्षा, जैविक प्रमाणीकरण एवं मूल्य संवर्धन हेतु प्राविधानित है। क्लस्टर में चयनित कृषकों को अधिकतम 02 हे० क्षेत्रफल की सीमा तक क्लस्टर में जोड़ने की व्यवस्था दी गई है।

वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 54 जनपदों में 1240 क्लस्टर (24800 हे० क्षेत्रफल) संचालित किये गये, जिस पर रू0 24.00 करोड़ धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 52 जनपदों में 1200 क्लस्टर (24000 हे क्षेत्रफल) में क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है, जिसका कुल वित्तीय लक्ष्य रू0 59.26 करोड़ है।

पी०के०वी०वाई० गाइडलाइन आधारित गंगा के तटीय क्षेत्र में जैविक खेती कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के 27 जनपदों में स्वच्छता एक्शन प्लान नमामि गंगे क्लीन अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 27 जनपदों में 6179 क्लस्टर (123580 हे० क्षेत्रफल) संचालित किये गये, जिस पर रू0 42.55 करोड़ धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 27 जनपदों में

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5159 क्लस्टर (103180 हे० क्षेत्रफल) में क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है, जिसका कुल वित्तीय लक्ष्य रु० 199.31 करोड़ है।

**मानीटरिंग बिन्दु** – जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला मिशन समिति जनपद स्तर पर कार्ययोजना का अनुमोदन, योजना का क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी। समिति नियमित रूप से भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा बैठक त्रैमासिक रूप से करके योजना के अन्तर्गत विभिन्न घटकों के क्रियाकलापों / कार्यक्रमों के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन व विभिन्न सम्वर्गीय विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करायेगी।

**<u>नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (एन०एम०एन०एफ०)</u>**

वर्ष 2024-25 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के संचालन की स्वीकृति भारत सरकार के स्तर से प्रदान की गई है। योजनान्तर्गत 1886 क्लस्टरों में कुल 94300 हैं० क्षेत्रफल (प्रति क्लस्टर 50 हे०) में वर्ष 2025-26 हेतु रू0 150.20 करोड़ वित्तीय लक्ष्य रखा गया है। योजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण, कृषि सखी/सी०आर०पी० प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण एवं कृषको को प्रोत्साहन के रूप में सहायता प्रदान की जानी है। प्रति क्लस्टर रु० 13.99 लाख व्यय किया जाना है।

**मानीटरिंग बिन्दु** - जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति जनपद स्तर पर कार्ययोजना का अनुमोदन, योजना का क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी। समिति द्वारा माहवार बैठक का आयोजन किया जायेगा, जिसमें मिशन के कार्यों का भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी कलस्टर में बायो इनपुट वितरण, कलस्टर हेतु माइक्रो एक्शन प्लान की स्वीकृति तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने का दायित्व जिला स्तरीय निगरानी समिति का होगा। इसी प्रकार मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा योजना का अनुश्रवण व समीक्षा किया जायेगा।

**<u>16.1 (c)- मृदा स्वास्थ एवं उर्वरता कार्यक्रमः-</u>**

**वर्ष 2024-25 की उपलब्धि-**

योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में 8.26 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण कराकर, मृदा नमूनों के विश्लेषणोंपरान्त कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ कार्ड उपलब्ध कराये गये है।

**वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित लक्ष्य-**

योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 16520 ग्राम पंचायतों से 16.52 लाख मृदा नमूनों का एकत्रीकरण, विश्लेषण कर कृषकों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाना है।

**16.1 (d) <u>आर0 के0 वी0 वाई0 के घटक(पर ड्राप मोर क्राप) के उपघटक अदर इण्टरवेन्शन के अन्तर्गत वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब की योजनाः-</u>**

**<u>योजना के उद्देश्य :-</u>**

1. वर्षा के जल को अधिकाधिक संचित कर पलेवा अथवा जीवनदायनी सिंचाई हेतु प्रयोग करना।
2. संचित वर्षा जल को स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली व सुरक्षित जल संवाहक प्रणाली द्वारा खेतो तक पहुंचाना, जिससे जल का ह्रास कम से कम हो एवं उपलब्ध जल से अधिकाधिक क्षेत्र की सिंचाई भी हो सके।
3. वैकल्पिक कृषि के लिये कृषको को प्रशिक्षित करना जिससे कम पानी के प्रयोग से अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।
4. परियोजना क्षेत्र में भूगर्भ जलस्तर मे वृद्धि।
5. खोदे गये तालाबों में मत्स्य पालन व सिंघाडे की खेती द्वारा रोजगार में वृद्धि।

**<u>योजना का कार्य क्षेत्र :-</u>**

- प्रदेश के समस्त जनपद (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखण्ड एवं पश्चिमी जनपदों के खारे पानी से ग्रस्त विकासखण्ड/जनपद।

**योजना का विवरण :-**

- योजनान्तर्गत लघु तालाब का आकार 22X20X3 घन मीटर, प्रति तालाब लागत रू0 1,05,000.00 एवं प्रति तालाब अनुदान रू0 52,500.00 कृषकों हेतु अनुमन्य है।
- अनुदान का भुगतान लाभार्थी कृषकों के खातों में डी0बी0टी0द्वारा दो किश्तों में दिया जाता है।
- प्रति लघु तालाब से 1.0 हे0 फसल की सिंचाई की जाती है।
- सम्पूर्ण तालाबों की जियो टैगिंग करायी जाती है।

**16.1 (e) कृषि यंत्रों को प्रोत्साहनः-**

**क- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजनाः-**

**क.1 फाइनेंशियल असिस्टेन्स फॉर प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट-**

प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, लघु, सीमान्त एवं महिला कृषकों को एकल कृषि यन्त्रों के क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य धनराशि की सीमा दोनो में से जो कम हो देय होगा तथा अन्य कृषकों को अधिकतम 40 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य धनराशि की सीमा दोनो में से जो कम हो, अनुदान अनुमन्य है।

**क.2 कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना -**

विकास खण्ड/तहसील/जिला स्तर पर कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना हेतु ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी), कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) को परियोजना लागत (अधिकतम 10 लाख) का 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 4 लाख तक देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नतशील कृषि यन्त्रों को प्राप्त कर अपने खेतों में कृषि कार्य समय पर एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सकें।

**क.3 हाई टेक हब फॉर कस्टम हायरिंग-**

हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमी (कृषक उद्यमी एवं युवा उद्यमी) एवं कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। जिसमें रू0 100 लाख की परियोजना लागत पर 40 प्रतिशत अधिकतम रू0 40 लाख अनुदान देय है जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यन्त्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमतापूर्वक सम्पन्न कर सके।

**क.4 फॉर्म मशीनरी बैंक-**

फॉर्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए कृषक उत्पादक संघ(एफ0पी0 ओ0) के लाभार्थियों का चयन किया जाता है। जिसमें रू0 10 लाख तक की परियोजना लागत के फॉर्म मशीनरी बैंक पर 80 प्रतिशत अधिकतम रू0 08 लाख अनुदान देय है, जिससे किसान इन केन्द्रों से किराये पर उन्नत कृषि यंत्रों को प्राप्त कर अपने खेतों पर कृषि कार्य समय से एवं सुगमतापूर्वक संपन्न कर सके।

**ख. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजना (सी0आर0एम0) -**

**ख.1 कस्टम हायरिंग सेन्टर-**

- विकास खण्ड/तहसील/जिलों में ग्राम स्तर पर कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु कृषक उत्पादक संघ (एफ0पी0ओ0) एवं ग्रामीण उद्यमी होगे।
- कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना में रू0 30 लाख तक के परियोजना लागत के अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी कृषि यन्त्र में से कम से कम कोई दो कृषि यन्त्र खरीदना अनिवार्य

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

होगा, जिस पर 80 प्रतिशत (अधिकतम रू0 24 लाख) अनुदान देय होगा। यह कस्टम हायरिंग सेन्टर वर्तमान में एफ0पी0ओ0 एवं ग्रामीण उद्यमी उपलब्ध कराये जा रहे है।

**ख.2 <u>प्रोक्यूरमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी एण्ड इक्यूपमेन्ट फॉर इन सीटू क्रॉप रेज्ड्यू मैनेजमेन्ट-</u>**

फसल अवशेष प्रबन्धन हेतु उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्रो को कृषकों द्वारा क्रय करने पर क्रय मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अथवा अनुदान की अधिकतम अनुमन्य सीमा दोनो मे से जो कम हो देय होगा।

**ख.3 <u>इन्फार्मेशन, एजूकेशन एवं कम्युनिकेशन फॉर अवेयरनेस ऑन इन सीटू क्रॉप रेज्ड्यू मैनेजमेन्ट-</u>**

इस घटक का उद्देश्य फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए किसानों में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जागृत करना है। इस घटक के अन्तर्गत विभिन्न मदों द्वारा न्याय पंचायत स्तर, जनपद स्तर तथा राज्य स्तर पर गोष्ठी के आयोजन, लिफलेट्स, पर्मानेन्ट होर्डिंग्स, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियों जिंगलस्, दूरदर्शन पर ऑडियो-विडियो क्लिप्स तथा प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराना है तथा उनको न जलाने से भूमि एवं पर्यावरण में जो सुधार होगा, उसके प्रति किसानों को जागरूक किया जाना तथा इससे उत्पादन में वृद्धि से भी अवगत कराया जाना है, क्योंकि फसल अवशेष न जलाने से जो जैविक पदार्थ खेतों में मिलेंगे उससे खेतों में जीवांश पदार्थ की बढ़ोत्तरी होगी।

**16.1 (f) <u>क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम-राईस रिप्लेसमेन्ट-</u>**

क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम – ओ0जी0आर0एस0 (ओरिजनल ग्रीन रिवोल्यूशन स्टेट्स) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जनपदों यथा- सहारनपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर बदांयू, पीलीभीत एवं मैनपुरी में राईस रिप्लेसमेन्ट के कार्यक्रम क्रियान्वित है।

योजना का मुख्य उद्देश्य भूगर्भ जल संरक्षण के दृष्टिकोण से अधिक जल दोहन वाली फसल धान को वैकल्पिक फसलों यथा उर्द, मूंग, मक्का, बाजरा तथा औद्यानिक फसलों से प्रतिस्थापित करते हुए धान – गेहूँ फसल चक्र में निरन्तर घटती आय के दृष्टिगत, कृषको की आय वृध्दि करना है एवं कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यंत्रो पर 40 प्रतिशत सें 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराना है।

जनपद स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन व अनुश्रवण मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है। वर्ष 2025-26 में एस0एल0एसी0 द्वारा सी0डी0पी0-ओ0जी0आर0 योजनान्तर्गत धनराशि रू0 4325.00 लाख अनुमोदित की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न घटकों यथा क्लस्टर प्रदर्शन , फार्म मशीनरी तथा साइट स्पेसिफिक गतिविधि का क्रियान्यवयन कराते हुए भुगतान की प्रक्रिया एस0एन0ए0 स्पर्श पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यवाही की जानी है।

**16.1 (g) <u>क्रॉप डायवर्सीफिकेशन प्रोग्राम-टुबैको रिप्लेसमेन्ट-</u>**

मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत, तम्बाकू को वैकल्पिक फसलों द्वारा प्रतिस्थापित कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के तम्बाकू बाहुल्य 03 जनपदों यथा-एटा, कासगंज एवं फर्रूखाबाद में टुबैको रिप्लेसमेन्ट से सम्बधित कार्यक्रम क्रियान्वित है।

योजना का मुख्य उद्देश्य हानिकारक तम्बाकू फसल को वैकल्पिक फसलों यथा चना, गेंहू, सरसों, तथा औद्यानिक फसलों से प्रतिस्थापित करना एवं कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यंत्रो पर 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराना है।

जनपद स्तर पर परियोजना का क्रियान्वयन व अनुश्रवण मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ग्रुप द्वारा किया जाता है। वर्ष 2025-26 में एस0एल0एसी0 द्वारा सी0डी0पी0-टी0आर0 योजनान्तर्गत धनराशि रू0 97.00 लाख अनुमोदित की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न घटकों यथा क्लस्टर प्रदर्शन, फार्म मशीनरी तथा साइट स्पेसिफिक गतिविधि का क्रियान्वयन कराते हुए भुगतान की प्रक्रिया एस0एन0ए0 स्पर्श पोर्टल के माध्यम से कराये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

**16.2 कृषोन्नति योजनायें**

**16.2 (a) <u>फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी -</u>**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- वर्तमान वर्ष 2025-26 में गेहूं घटक 29 जनपदों एवंदलहन घटक समस्त प्रदेश में संचालित है।
- गेहूँ एवं दलहन के उत्पादन एवं उत्पाकदता मे वृद्धि हेतु क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण आई0एन0एम0, आई0पी0एम0, बीज गोदाम, थ्रेसिंग फ्लोर, बखारी आदि के वितरण पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।
- गेहूँ के बीज पर 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली अधिसूचित प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 20 प्रति कि.ग्रा. तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 10 प्रति कि.ग्रा. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा। एक किसान को अधिकतम 01 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य है।
- दलहनी फसल अन्तर्गत चना, मटर, मसूर की 10 वर्ष से कम अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 50 प्रति कि.ग्रा. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो तथा 10 वर्ष से अधिक अधिवर्षता वाली प्रजातियों के प्रमाणित बीज वितरण पर रू0 25 प्रति कि.ग्रा. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य होगा। एक किसान को अधिकतम 01 हे0 की सीमा तक ही अनुदान अनुमन्य है।

**16.2 (b) <u>नेशनल मिशन ऑन एडिबिल ऑयल (ऑयल सीड्स) वर्ष 2025-26:-</u>**

**<u>योजना का संचालन-</u>** प्रदेश की तिलहन संबन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु केन्द्र पुरोनिधानित नेशनल मिशन ऑन (आयल सीड्स) योजना प्रदेश के समस्त 75 जनपदों मे क्रियान्वित की जा रही है। जिलाधिकारी जनपदीय ऑयल सीड मिशन की नियमित बैठक कर प्रगति की समीक्षा करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति करायी जाये। योजनान्तर्गत तिलहन कार्यक्रम का विवरण निम्नवत है:-

**<u>उद्देश्य:-</u>**

- प्रदेश में तिलहनी फसलों के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।
- प्रदेश की मांग के अनुरुप खाद्य तेलों की आवश्यकता की पूर्ति करना।
- तिलहनी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषकों को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन (क्लस्टर प्रदर्शन, ब्लॉक प्रदर्शन, मिनी ऑयल एक्स्ट्रैक्शन यूनिट , तिरपाल आदि ) के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराना एवं कृषक प्रशिक्षण , फार्मर फील्ड स्कूल तथा तिलहन मेला के माध्यम से कृषकों को नवीनतम को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना ।
- **कार्यक्षेत्रः- प्रदेश के समस्त 75 जनपद**
    - <u>फन्डिंग पैटर्नः-</u> 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश।

**16.2 (c) <u>सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (SMAE):-</u>**

प्रदेश के सभी जनपदों में इस मिशन के अन्तर्गत संचालित "सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस" (ATMA) योजना का उद्देश्य प्रसार एवं सूचना प्रौद्योगिक कार्यक्रम को सुदृढ़, विस्तारित एवं उच्चीकृत कराना है। प्रदेश में कृषि प्रसार को सुदृढ़ एवं उच्चीकृत करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु निम्न कार्यक्रम लिए जायेंगे:-

- कृषक प्रशिक्षणों का आयोजन।
- प्रदर्शनों का आयोजन (रबी में 40 प्रदर्शन/विकास खण्ड+ 20 प्रदर्शन एलाइड सेक्टर/विकास खण्ड)।
- कृषक-वैज्ञानिक संवादों का आयोजन।
- किसान-मेला/कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन।
- कृषक गोष्ठी एवं क्षेत्र दिवसों का आयोजन।
- कृषकों में जागरूकता पैदा करने तथा दक्षता विकास हेतु भ्रमणों का आयोजन।
- कृषक हितार्थी समूहों का गठन एवं क्षमता विकास।
- उपयोगी कृषि साहित्य का प्रकाशन।

http://shasanadesh.up.gov.in

- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- फार्म स्कूलों का आयोजन (रबी में 03 फार्म स्कूल प्रति विकास खण्ड (02 माडल -1+1 माडल-2)
- कृषक पुरस्कार प्रदान कर किसानो को प्रोत्साहित करना ।
- कृषि से संबंधित सफलता की कहानियों का प्रकाशन एवं प्रसार।
- अनुसंधान-प्रसार-कृषक-बाजार कड़ी के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रयास करना।
- स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों/रीजनल अनुसंधान केन्द्रों की सहायता से कृषि तकनीक का परीक्षण एवं परिष्करण करना।
- सम्बधित जिलाधिकारी से आत्मा कीगर्वनिंग बोर्ड की बैठक 3-3 माह में नियमित समीक्षा कर भौतिक /वित्तीय प्रगति बढ़ाने की अपेक्षा।

**नवोन्मेषी कार्यक्रम- (राज्य स्तरीय)-**

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट ( MANAGE के माध्यम से )

इसके अतिरिक्त कृषि प्रसार को किसानो तक विस्तार देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान -2025 जैसे कार्यक्रम भी आयोजित कराये जायेगें ।

**17. <u>राज्य पोषित योजनायें:-</u>**

**17 (I) <u>त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम वर्ष 2025-26 (रबी)</u>**

उद्देश्य-प्रदेश के समस्त जनपदों में कृषको को जागरूक कर मक्का के क्षेत्रफल में विस्तार तथा उत्पादकता में /टिकाऊ वृध्दि करते हुये उत्पादन बढ़ाना।

- प्रदेश में स्थापित ग्रेन बेस्ड एथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाईयो को कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- मक्का के प्रोसेस्ड फूड, पोल्ट्री फीड एवं एनीमल फीड हेतु कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- किसानों में विश्वसनीयता बनाये रखने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न मक्का प्रसंस्करण इकाइयों के मध्य समन्वय स्थापित कराना।
- किसानों के आर्थिक एंव सामाजिक जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना ।

**कार्यक्षेत्र** - योजना का क्रियान्वयन यद्यपि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रस्तावित है परन्तु योजनान्तर्गत प्रदेश के 13 जनपद (बहराइच, कन्नौज, मैनपुरी, जौनपुर, गोण्डा, बुलन्दशहर, हरदोई, कासगंज, फरूर्खाबाद, बलिया, उन्नाव, एटा एवं ललितपुर), जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत मक्का फसल हेतु चयनित हैं, में प्रस्तावित योजना के वह घटक यथा, संकर मक्का प्रदर्शन, संकर मक्का बीज वितरण एवं मेज सेलर आदि जो एन0एफ0एस0एम0) योजना में भी अनुमन्य है, को क्रियान्वित नहीं किया जायेगा।

**लाभार्थी चयन**:-

- योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की सीमा तक विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कृषकों को नियमानुसार लाभान्वित करने हेतु चयन किया जायेगा । योजना में कुल निर्धारित लक्ष्यों में से लघु, सीमान्त तथा महिला कृषकों को चयन में वरीयता दी जायेगी ।
- योजना अन्तर्गत एक लाभार्थी को अधिकतम 02 हे0 की सीमा तक ही अनुदान देय होगा ।

**देय सुविधायें**–

- उन्नत तकनीकी प्रदर्शन ( खरीफ एवं जायद में )
- संकर मक्का बीज वितरण पर अनुदान मूल्य का 50प्रतिशत या रू0 15000/-कु0 जो भी कम हो
- कृषक अध्यन-राज्य के बाहर (5दिवसीय) एव राज्य के अन्दर भ्रमण ।
- योजनान्तर्गत कृषक गोष्ठियो आयोजन – ग्राम पचायत स्तरीय गोष्ठी – विकास खण्ड स्तरीय एंव जनपद स्तरीय
- योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रो पर अनुदान – मेज सेलर, पॉपिग मशीन एंव बैच डायर*

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

- *(बैच ड्रॉयर केवल सक्रिय एफ0 पी0ओ0 को 80 प्रतिशत अनुदान पर उबलब्ध कराये जायेगे )

**17 (II) <u>पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना:</u>**

- प्रदेश में कृषि विकास दर बढ़ाने हेतु तथा कृषकों/कृषि मजदूरों की उन्नति के लिए आजीविका/रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना शासन द्वारा वर्ष 2022-2023 से 2026-27 तक स्वीकृत की गई है।
- प्रदेश में नदी एवं नालों के किनारे बीहड़ एवं बंजर भूमि को जिसमें अधिकांशतः भूमिहीन कृषकों को पट्टे दिए गए हैं तथा जहॉ पर जल-भराव होता है, उन भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाना ।
- योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 74 जनपदों में (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) स्वीकृत है। योजनान्तर्गत चयनित परियोजना क्षेत्र में शत-प्रतिशत अनुदान पर बीहड़/बंजर भूमि सुधार तथा जल-भराव क्षेत्र का उपचार प्रस्तावित है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 43850 हे0 का लक्ष्य के सापेक्ष 39559 हे0 की पूर्ति हुयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य 43850 हे0 में 35600 हे0 राज्य सेक्टर एवं 8250 हे0 मनरेगा के अन्तर्गत है।

**17(III) <u>मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना</u>** :

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना राज्य सेक्टर की योजना है। योजनान्तर्गत कृषकों को पी0ओ0एस0 के माध्यम से अनुदानित दर पर जिप्सम का वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम उपलब्ध करायी जाती है।

योजना का मूल उद्देश्य फसल उत्पादन में वृद्धि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करना है। योजनान्तर्गत समस्त श्रेणी के कृषको को प्रति हेक्टयर /3 कुन्तल तथा अधिकतम 02 हेक्टेयर की सीमा तक अनुदान अनुमन्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु कुल 44619 मै0 टन जिप्सम वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसमें 26289 मै0 टन 75 प्रतिशत अनुदान (25 राज्यांश एंव 50 केन्द्रांश ) तथा शेष रबी सत्र हेतु 18330 मै0टन 75 प्रतिशत राज्यांश अनुदान पर जिप्सम वितरित की जायेगी।

**17 (IV) <u>निःशुल्क दलहन बीज मिनीकिट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम</u>**

**उद्देश्य :** प्रदेश में दलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

1. **कार्यक्षेत्र :सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।**
2. **देय सुविधाये :**
   - रबी में दलहनी फसलो (चना, मटर एवं मसूर) के बीज मिनीकिट का कृषको को निःशुल्क वितरण।
   - चयनित ग्राम पंचायतो में दलहनी फसलो के एक-एक एकड़ के प्रदर्शन आयोजन हेतु रु0 4000 प्रति एकड़ का अनुदान।
   - चयनित ग्राम पंचायतो में किसान पाठशाला के माध्यम से कृषको का क्षमतावर्धन।
3. **फंडिंग पैटर्न ( वित्त पोषण पद्धति ) :**
   - शतप्रतिशत राज्य पोषित।
4. **भौतिक लक्ष्य –**
   - रबी 2025-26 में 92518 बीज मिनीकिट वितरण, 8385 एकड़ प्रदर्शन एवं 8385 किसान पाठशालाओं के आयोजन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

**17(V) <u>प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना</u>**

1. **उद्देश्य :**

प्रदेश के कृषको को गेहूँ, जौ, दलहनी एवं तिलहनी फसलों के बीजों पर अतिरिक्त अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर बीज प्रतिस्थापन दर में बढ़ोत्तरी करने के साथ कृषि उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं खाद्यान्न सुरक्षा सुदृढ़ करना।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. **कार्यक्षेत्र :सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।**
3. **देय सुविधाये :**

- विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अन्तर्गत वितरित प्रमाणित बीजों पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान अनुमन्य किया गया है, जो कि 50% की सीमान्तर्गत (अथवा फसलवार निर्धारित अधिकतम धनराशि, जो भी कम हो) देय है।
- केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों से अधिक वितरित बीजों तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में विभिन्न फसलों के उन्नतशील प्रमाणित बीजों के वितरण पर राज्य सरकार द्वारा कुल अनुदान 50% की सीमान्तर्गत (अथवा फसलवार निर्धारित अधिकतम धनराशि, जो भी कम हो) अनुमन्य किया गया है।

4. **फंडिंग पैटर्न (वित्त पोषण पद्धति) :**

- शत प्रतिशत राज्य पोषित।

**17(VI) <u>बुंदेलखंड गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना:-</u>**

वर्ष 2022-23 से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती योजना के अन्तर्गत 07 जनपदो के समस्त 47 विकासखण्डों में आगामी 05 वर्षों हेतु 470 क्लस्टरो (23500 हे० क्षेत्रफल) में धनराशि रू0 68.83 करोड़ की कार्ययोजना स्वीकृत है। योजनान्तर्गत 01 ग्राम पंचायत में 50 हे० क्षेत्रफल का एक क्लस्टर गठित किया गया है तथा एक कृषक को अधिकतम 02 हे० क्षेत्रफल की सीमा तक वित्तीय सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2024-25 में 470 क्लस्टरो (23500 हे० क्षेत्रफल) संचालित किये गये, जिस पर रु0 2197.66 लाख की धनराशि व्यय की गई।

मानीटरिंग बिन्दु – जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोआर्डिनेशन कमेटी जनपद स्तर पर कार्ययोजना का अनुमोदन, योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धी समस्त कार्यो हेतु उत्तरदायी होगी। कलस्टर के हैण्डहोल्डिंग क्षमता विकास, अभिलेखीकरण तथा डाटा प्रबन्धन के साथ योजना के भौतिक एंव वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु कमेटी द्वारा माहवार बैठक का आयोजन किया जायेगा। कलस्टर में बायो इनपुट वितरण, कलस्टर हेतु माइक्रो एक्शन प्लान की स्वीकृत तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने का दायित्व जिला स्तरीय समिति का होगा। इसी प्रकार मण्डल स्तर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा योजना का अनुश्रवण व समीक्षा किया जायेगा।

**17 (VII) <u>राज्य योजनान्तर्गत संचालित जैव कल्चर उत्पादन प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण/जैव उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम</u>**

**वर्ष 2024-25 की उपलब्धियां –**

प्रदेश की जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं द्वारा रबी - 2024 में 14.50 लाख जैव उर्वरक पैकेटों का उत्पादन उपरान्त 75 प्रतिशत एटसोर्स सब्सिडी पर पी0 ओ0 एस0 के माध्यम से" पहले आओ-पहले पाओं" के सिद्धान्त पर 25 प्रतिशत कृषक अंश पर जैव उर्वरक पैकेटों का वितरण कराया गया।

**वर्ष 2025-26 हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम –**

प्रदेश की जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं द्वारा रबी - 2025 में 10.52 लाख जैव उर्वरक पैकेटो का उत्पादन उपरान्त 75 प्रतिशत एटसोर्स सब्सिडी पर पी0 ओ0 एस0 के माध्यम से "पहले आओं - पहलो पाओं" के सिद्धान्त पर 25 प्रतिशत कृषक अंश पर जैव उर्वरक पैकेटों का वितरण कराया जाना प्रस्तावित है।

**18. <u>उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों का गुण-नियंत्रण</u>:**

उच्च गुणवत्तायुक्त उर्वरक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में लगभग 78862 उर्वरक विक्रय केन्द्र वर्तमान में संचालित हैं। 84506 बीज विक्रेता तथा 68877 कृषि रक्षा रसायनों के पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से कृषको को शुध्द उर्वरक, कीटनाशी रसायन एवं

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है।

**जनपदवार लक्ष्य परिशिष्ट-08 पर दर्शित हैं।**

19. **<u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना</u>**

- प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2025-26 के रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्रामपंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। योजना में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता का प्राविधान है।

**<u>सम्मिलित कृषकः-</u>**

योजना ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों हेतु स्वैच्छिक आधार पर लागू की गयी है। ऋणी किसान बीमा कराने की अन्तिम तिथि रबी मौसम में 31 दिसम्बर, 2025 के 07 दिन पहले तक योजना में प्रतिभाग नहीं करने के सम्बन्ध में बैंक को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना आवश्यक है। यदि बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले प्रार्थना पत्र प्राप्त हो जाता है तो कृषक अनिर्वाय रूप से कवर नहीं होगा, अन्यथा अधिसूचित फसलों के लिए गये फसली ऋण पर नियमानुसार प्रीमियम की कटौती की जायेगी।

कृषकों द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखा/बीमा कम्पनी के एजेन्ट/निकटतम कामन सर्विस सेन्टर/सीधे बीमा कम्पनी अथवा भारत सरकार के आनलाइन पोर्टल- www.pmfby.gov.in के माध्यम से उल्लिखित अन्तिम तिथियों तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

**<u>बीमित फसल, बीमित राशि, प्रीमियम व अनुदानः-</u>**

- कृषकों द्वारा ग्रामपंचायत स्तर पर रबी में गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू का बीमा कराया जा सकता है। रबी मौसम की सभी फसलों हेतु कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियम दर को में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक नगदी फसल हेतु बीमित राशि के 5 प्रतिशत की अधिकतम दर तक सीमित रखा गया है। कृषक अंश के अतिरिक्त प्रीमियम की धनराशि को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जायेगा।

**<u>बीमा कवरेज हेतु निर्धारित तिथियाँः-</u>**

- रबी मौसम में 31 दिसम्बर, 2025 की अन्तिम तिथि तक बीमा कराया जा सकता है।

**योजना में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों, उप कृषि निदेशकों, बैंकों एवं बीमा कम्पनियों के निम्नानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये है :-**

**जिलाधिकारियों/उप कृषि निदेशकों के स्तर से किये जाने वाले कार्यः-**

1. उप कृषि निदेशक/जिलाधिकारी द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन मौसम प्रारम्भ होने से पूर्व किये जाने का प्राविधान है
ताकि आपदा की स्थिति में निर्धारित समयावधि में प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण करते हुए सर्वेक्षण रिपोर्ट बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति के आंकलन एवं भुगतान हेतु प्राप्त हो सके।

2. फसलों को क्षति होने की दशा में जिलाधिकारी/उप कृषि निदेशक द्वारा जनपद के राजस्व, कृषि विभाग एवं बीमा कंपनी के अधिकारियों की संयुक्त समिति का गठन प्राथमिकता पर किया जायेगा। समिति द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में संयुक्त सर्वेक्षण का कार्य आपदा के 15 दिन की निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करते हुए संयुक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट बीमा कंपनी/निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 को क्षतिपूर्ति के आंकलन व भुगतान हेतु प्राथमिकता पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

3. जनपद के उप कृषि निदेशक द्वारा फसल बीमा योजना के मानीटरिंग हेतु जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति की प्रत्येक माह बैठक (आपदा की स्थिति में माह के मध्य में भी) करायी जायेगी। जनपद में बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा इस संबन्ध में उप कृषि निदेशक से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. जिला स्तरीय संयुक्त समिति (Dirstrict Level Joint Committie/DLIC) प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर ब्यापक रूप से फसल की बुवाई न कर पाने, असफल बुवाई की स्थिति तथा खड़ी फसलों की कटाई से 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण ग्राम पंचायत में फसल की उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में जनपद के राजस्व व कृषि विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत कार्मिक द्वारा अपने क्षेत्र में उल्लिखित आपदाओं से प्रभावित ग्राम पंचायत व प्रभावित फसल की सूचना प्राथमिकता पर आपदा के 03 कार्यदिवस के अन्दर क्रमशः जिलाधिकारी व उप कृषि निदेशक कार्यालय में दी जायेगी। जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर स्वयं अथवा उप कृषि निदेशक कार्यालय के प्रस्ताव के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों व फसलों की लिखित सूची जनपद के उप कृषि निदेशक की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय संयुक्त समिति के सदस्यो, जिसमे प्रभावित क्षेत्र का राजस्व निरीक्षक, उप कृषि निदेशक द्वारा नामित कृषक प्रतिनिधि व बीमा कंपनी का प्रतिनिधि सदस्य है, को जारी की जायेगी।

5. भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार रबी 2025 मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतर्गत क्राप-कटिंग प्रयोगों का संपादन शत प्रतिशत CCE-Agri-App के माध्यम से कराते हुए क्षति का आंकलन किया जायेगा। अन्य किसी माध्यम से कराये गये क्राप-कटिंग प्रयोगों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग क्षति के आंकलन में नहीं किया जायेगा।

6. भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार स्थानिक आपदा के अंतर्गत प्राप्त व्यक्तिगत दावों का निस्तारण मेकर और चेकर तंत्र के माध्यम से किया जायेगा, जिसमे बीमा कंपनी मेकर (Maker) तथा जनपदीय अधिकारी चेकर (Checker) का कार्य करेंगे।

**बैंकों के स्तर से किये जाने वाले कार्य:-**

7. बैंकों द्वारा के0सी0सी0 खाता धारक कृषकों के खातों से प्रीमियम कटौती करते हुए उनका त्रुटि रहित विवरण फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा तथा प्रीमियम की धनराशि बीमा कंपनी को प्रेषित की जायेगी।

8. नोडल बैंक/फैक्स तथा बीमा एजेंट/मध्स्त, जनसेवा केन्द्र द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर कृषकवार बीमा कवरेज के विवरण को अपलोड करने पर ही जो कृषक नियमानुसार बीमा कवरेज का पात्र होगा।

**बीमा कंपनियों के स्तर से किये जाने वाले कार्य:-**

9. बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त फसल बीमा पोर्टल पर कृषकों के दस्तावेजों की जाँच करने के उपरान्त त्रुटिरहित बीमा पालीसियों को अप्रूव किया जायेगा तथा त्रुटि पाये जाने पर उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

**<u>मण्डल स्तरीय गोष्ठियॉ-</u>**

मण्डल स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में किया जाएगा। इस गोष्ठी में मण्डल स्तर के कृषि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी एवं जनपदीय अधिकारी भाग लेंगे। आवश्यकतानुसार मण्डल के मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (परियोजना)/जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक को आमंत्रित किया जाए। इन प्रशिक्षण के आयोजन की पूर्ण व्यवस्था मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जाएगी।

**20. <u>जनपदीय गोष्ठियॉ:-</u>**

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जनपदीय गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। इनका संयोजन मुख्य विकास अधिकारी/उप कृषि निदेशक करेंगे। इन गोष्ठियों में आवश्यकतानुसार जनपद के कृषि एवं विकास कार्यो से संबंधित अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भाग लेंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विकास खण्ड से आवश्यकतानुसार प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया जाए।

**21. <u>विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियॉ:-</u>**

विकास खण्ड स्तरीय गोष्ठियों की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी/प्रमुख क्षेत्र समिति द्वारा की जाए तथा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, सचिव एवं प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**22. <u>कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण:-</u>**

प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी कृषि निवेशों की समय सारिणी के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित कराकर इनका वितरण, विद्युत आपूर्ति, डीजल की उपलब्धता/ नलकूप/नहर द्वारा सिंचाई व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा कर समस्याओं का निराकरण अपने स्तर अथवा अपेक्षित स्तर से कराना सुनिश्चित करेगें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि नहरों के अन्तिम छोर तक पानी अवश्य पहुँचें।

उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि हेतु रबी के फसलोत्पादन की उपर्युक्तानुसार विस्तृत रणनीति एवं सम्बंधित संलग्नक प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रयास किया जाये कि उक्त योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक किसानों को प्राप्त हो सके।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि रबी अभियान 2025-26 हेतु अपने मण्डल/जनपद की भू-जलवायुविक आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर विशेष रणनीति तैयार कराते हुए अपना सक्रिय योगदान देकर रबी अभियान वर्ष 2025-26 को पूर्णत: सफल बनायेगें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
दीपक कुमार
कृषि उत्पादन आयुक्त।

<u>संख्या-57/2025/1428(1)/1850832/12-2099/226/2024 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/आयुक्त, ग्रामीण अवस्थापना विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
3. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश, कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
4. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कुलपति, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद।
6. कुलपति, सरदार बल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
10. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उ0प्र0, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ।
14. निदेशक, पशुपालन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
18. मुख्य अभियन्ता, नलकूप, लखनऊ।
19. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
20. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
21. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

22.प्रबन्ध निदेशक, भूमि सुधार निगम, भू-मित्र भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
23.मुख्य अभियन्ता, यू0पी0 पावर प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
24.महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
25.प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ।
26. कुलपति, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर, कुमारगंज(अयोध्या), बांदा।
27.निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ।
28.निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भदरूख, रायबरेली रोड, लखनऊ।
29.निदेशक, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कल्याणपुर, कानपुर।
30.निदेशक, केन्द्रीय भूमि एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण छलेसर, आगरा।
31.निदेशक, केन्द्रीय औषधि एवं सगंध पौध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
32.निदेशक, कृषि विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,वाराणसी।
33.निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
34.निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
35.निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, रामपुर एवं मथुरा।
36.निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
37.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
38.प्रबन्ध निदेशक, कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
39.कृषि निदेशालय के समस्त नियंत्रक अधिकारी/अपर कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक।
40.क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, लखनऊ।
41.प्रशासक, शारदा सहायक/रामगंगा समादेश क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
42.समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
43.समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
44.समस्त आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
45.निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
46.निजी सचिव, मा0 राज्य कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।